395-नि०आ०
23-8-12

संख्या: 1734/सत्रह-म0-2012-11-1-दा 21/2006

प्रेषक,

क्षेमपाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2012

विषय:- केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 346/नि0शा0/2012-13 दिनांक 25-07-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ समुदाय की दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्यांश के रूप में कुल — 1,25,000 मत्स्य पालकों के बीमा आच्छादन हेतु रूपया 18,12,000/- (रुपये अठारह लाख बारह हजार) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर "फिशकोफेड" को उपलब्ध कराने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल भुगतान न करके बीमा ~~किस्त~~ देय होने के 15 दिन पूर्व अवमुक्त की जाय ।
(2) धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा इसी धनराशि के समतुल्य धनराशि फिशकोफेड को दिये जाने के उपरान्त ही किया जायेगा ।
(3) उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा ।
(4) व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

2. उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन (आयोजनागत-800-अन्य व्यय, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-मछुआ समुदाय की मछुआ दुर्घटना बीमा योजना (के050/रा050, के0+रा0) 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

...2...

JDF
21-8-12
(कृष्ण कु० सिंह)
संयुक्त निदेशक मत्स्य
(क० श्रीवास्तव)
मत्स्य (नियोजन)
23/8/2012

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: बी-1-1685/दस-16/1992, दिनांक 07-07-1992 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।

संख्या: 1734(1)/सत्रह-म0-2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, लखनऊ।

5- राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ (मर्यादित), नई दिल्ली।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन-5/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।